

## **Recognition to the Practice of Electro Homeopathy**

**14/14/398 SH. SUDHIR SINGLA (Gurgaon).** Will the Ayush Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that a committee was constituted on 06.03.2019 by the Government in the matter of giving recognition to the practice of Electro Homeopathy in State; if so, the present status of recognition process thereof;
- b) the name of all the members of the abovesaid Committee; and
- c) the steps are being taken by the Government to recognize the practice of Electro Homeopathy system of medicine in State togetherwith the details thereof?

### **Reply:-**

Anil Vij, Health and AYUSH Minister Haryana.

- a) Yes Sir, a committee was constituted at the level of Directorate of AYUSH, Haryana to examine the matter regarding recognition of Electrohomeopathy as a system of medicine. This matter is currently under examination of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research).
- b) The committee consisted of the following members:-
  - 1. Dr. Satpal Bahmani, Director AYUSH, Chairman
  - 2. Dr. Satpal Singh, DAO, Ambala Member
  - 3. Dr. Surender Yadav, HMO Member
  - 4. Dr. Rajesh Kumar, Hom. Spl. Member
  - 5. Dr. Vinod Khanagwal, Member  
Chairman, EHMCHR (Pvt.)
  - 6. Dr. Samunder Singh, Member  
Secretary, EHMCHR (Pvt.)
- c) The matter regarding recognition of Electro Homeopathy as a system of medicine is currently under examination of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research).

## इलैक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस को मान्यता

14/14/398 श्री सुधीर सिंगला (गुडगाँव): क्या आयुष मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) राज्य में इलैक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस को मान्यता देने के मामले में सरकार द्वारा 06.03.2019 को एक समिति का गठन किया गया था; यदि हां, तो उसकी मान्यता की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों के नाम क्या हैं; तथा

(ग) राज्य दवाओं की इलैक्ट्रो होम्योपैथी प्रणाली की प्रैक्टिस को मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं?

उत्तर:-

अनिल विज, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री हरियाणा

(क) हां श्रीमान, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने के मामले की जांच करने के लिए निदेशालय आयुष, हरियाणा के स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। यह मामला वर्तमान में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) के विचाराधीन है।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. डा० सतपाल बहमणी, निदेशक आयुष            | अध्यक्ष |
| 2. डा० सतपाल सिंह, डी०ए०ओ०, अम्बाला        | सदस्य   |
| 3. डा० सुरेन्द्र यादव, एच०एम०ओ०            | सदस्य   |
| 4. डा० राजेश कुमार, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट | सदस्य   |
| 5. डा० विनोद खनगवाल                        | सदस्य   |
| अध्यक्ष, ई०एच०एम०सी०एच०आर० (प्राइवेट)      |         |
| 6. डा० समुन्दर सिंह,                       | सदस्य   |
| सचिव, ई०एच०एम०सी०एच०आर० (प्राइवेट)         |         |

(ग) चिकित्सा पद्धति के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता से संबंधित मामला वर्तमान में भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) के विचाराधीन है।